भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3235**

दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए

**निर्भया कोष के अंतर्गत सहायता**

3235. श्री दुष्यंत चैटालाः
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदीः
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्भया कोष के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु कोई मानदंड तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संदर्भ में निर्भया कोष की वित्तीय पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोष के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इसकी शुरूआत से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी महिलाओं को लाभ मिला है;

(घ) क्या सरकार को उक्त कोष के प्रचालन में कमियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा में वृद्धि पर उद्देशित पहलों के क्रियान्वयन हेतु 3000 करोड़ रुपये की राशि से निर्भया कोष नामक समर्पित कोष स्थापित किया है।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने निर्भया कोष से निधियन किए जाने के लिए मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्कीमों/ परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है जिसमें गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड और आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि सदस्य हैं। अनुमोदन के पश्चात, निर्भया कोष से अपेक्षित बजटीय आबंटन हेतु प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, बजट विभाग भेजा जाना है।

(ग) : निर्भया कोष के अंतगर्त मूल्यांकित एवं संस्तुत प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

i) 18.58 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से वन स्टॉप सेंटर।

ii) 69.49 करोड़ रुपये से महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण।

**गृह मंत्रालय**

i) पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 200;00 करोड़ रुपये की केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) का सृजन।

ii) देश के सभी पुलिस जिलों में 324.00 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए जांच यूनिट (आईयूसीएडब्ल्यू) का सृजन।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वन स्टॉप सेंटर के लिए 10.71 करोड़ रुपये और महिला हैल्पलाइन के लिए 13.92 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

*****